RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office: 4th FLOOR, NEHRU SAHKAR BHAWAN, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR-302006

क्रमांकः—F-1/RSGSM/MRF/2021-22/26540-559 दिनांक :— 30.09.2021

कार्यालय—आदेश

दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. रिटायर्ड एम्पलाईस मेडिकल रिलीफ फण्ड की मीटिंग की संकल्प संख्या 03 की अनुपालना में एंव प्रभारी संचालक के अनुमोदन के अनुसरण में ''आर.एस.जी.एस.एम. रिटायर्ड एम्पालाईज मेडिकल रिलीफ फण्ड'' स्कीम जिसे 01.08.2013 से लागू किया है **में निम्न संशोधन दिनांक 01.10.2021 से किये जाते है :—**

1. **मेडिकल रिलीफ फण्ड नियम संख्या— 7** सेवानिवृत्ति तिथि तक दिनांक 01.10.2021 को कार्यरत अंशदाता से कम से कम अंशदान रू. 25000/— से बढ़ाकर रू. 35000/— किया जाता है ।
2. **मेडिकल रिलीफ फण्ड नियम संख्या— 8** मेम्बर से मूल अंशदान की राशि रू. 300/— प्रतिमाह से बढ़ाकर रू. 350/— प्रतिमाह की जाती है एंव डीए बढ़ोत्तरी अनुसार अंशदान बढ़ोत्तरी पूर्वानुसार रहेगी, अर्थात् माह अक्टूबर, 2021 से कार्मिकों से मेडिकल रिलीफ फण्ड में अंशदान की राशि रू. 350/— मूल अंशदान पर 28 प्रतिशत डी.ए. की दर को जोड़कर रू. 448 प्रतिमाह कटौती की जायेगी ।
3. **मेडिकल** रिलीफ **फण्ड नियम संख्या— 14**

(i) आउटडोर चिकित्सा खर्च में रू. 25,000/— से बढ़ाकर अधिकतम रू. 40,000/—वार्षिक किया जाता है। इंडोर चिकित्सा खर्च में रू. 50,000/— से बढ़ाकर अधिकतम रू. 75,000/—वार्षिक किया जाता है।

(ii) गम्भीर बीमारी होने पर इंडोर चिकित्सा खर्च में रू.1,00,000/— से बढ़ाकर अधिकतम रू. 1,50,000/— वार्षिक किया जाता है ।

उपरोक्त मेडिकल रिलीफ फण्ड नियम संख्या—14 में उक्त संशोधन दिनांक 01.10.2021 से लागू किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिनांक 01.10.2021 के पश्चात् लिये गये उपचार पर व्यय की गई राशि का मेडिकल पुर्नभरण संशोधित राशि (बढ़ी हुई राशि) का अनुपातिक रूप से देय होगा।

महाप्रबन्धक
राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

प्रतिलिपि :—

1. महाप्रबन्धक, शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
4. ए.सी.पी (उपनिदेशक), मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि संस्थान की वेब—साईट पर अपलोड करावे।
5. व0प्रबन्धक (वित्त), मुख्यालय, जयपुर ।
6. समस्त मदिरालय प्रभारी को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त डिपो को सूचित करावे ।
7. मा.फा./नोटिस बोर्ड।

महाप्रबन्धक

C:\S.K.Gupta\S.K\Medical Relief Fund\Medical meeting menites\LETTER HEAD.doc**GRAM:** GANGASUGAR **PHONES:** 2740475- DIC, 2470068- GM, 2740541- FA, 2740294- DGM (A&T), 2740841- DGM(Pur.),2741531- CDC, 2741956- Co. Secy., 2741085- DGM (P&S), 2740729- Computer Cell **E-mail:** rsgsmlimited@yahoo.com **FAX :** 0141-2740676 **PBX :** 2740246,2740040 **R.S.T. NO.** 1421/00868 DT. 12.07.1957 **C.S.T. NO.** 1421/00868 DT. 12.07.1957